कार्यालय नगर पालिका परिषद खरगोन म.प्र. जिला खरगोन

क्र. 4952 /राजस्व/2021 खरगोन दिनांकः– 30/3/2021

:: जाहिर-सूचना ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक /1630 दिनांक 27.01.2021 में दिये गये निर्देश एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन क्रमांक 46 दिनांक 13.11.2020 के भाग –4 (ग) के नियम 1 से 15 तक वर्णित प्रावधानों के आधार पर नगरीय क्षेत्र में स्थित आवासीय व व्यावसायिक भवनों तथा भू–खण्डो पर स्वनिर्धारण वर्ष 1997 के क्रम में सम्पत्तिकर की गणना में कर योग्य संपत्ति मुल्य का निर्धारण इन नियमों के तहत भवन तथा भूमि का कर योग्य संपत्ति मूल्य उक्त भवन या भूमि के वार्षिक भाडा मूल्य के बराबर होगा भवन या भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य में न्यूनतम वृद्धि आगामी वर्ष में विगत वर्ष की कलेक्टर गाईडलाईन में निर्धारित भवन/भूमि के बाजार मूल्य में वर्तमान वर्ष में हुई प्रतिशतता वृद्धि के अनुरूप संपत्ति मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक, न.पा.परिषद खरगोन के पारित संकल्प क्रमांक 144 दिनांक 27.03.2021 के अनुसार संपत्तिकर नियम 2020 की गणना अनुसार वर्ष 2021–22 में उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संपत्तिकर आधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत कलेक्टर गाईडलाईन की दरों में विगत वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो कर योग्य संपत्ति मूल्य में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि कलक्टर गाईड लाईन में कमी होने पर या वृद्धि न होने पर कर योग्य संपत्ति मूल्य विगत वर्ष अनुसार ही रहेगा। नवीन नियमों में दिये गये प्रावधान अनुसार निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाता है।

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 127–क के अधीन संपत्तिकर की दरों का निर्धारण नवीन गाईड लाईन अनुसार वृद्धि की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए संपत्तिकर आधिरोपित किया जावेगा।

2. नियम 5 के अधिन भवनों व भूमियों का कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन से भवनों के निर्मित क्षेत्र तथा भूमियों के क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ग मीटर वार्षिक दर निर्धारण होगा।

3. संपत्तिकर भुगतान की अंतिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 नियत की गई है जिसके भीतर भवन या भूमियों के स्वामियों द्वारा स्वनिर्धारण विवरणी जमा कराना एवं भुगतान करना अनिवार्य होगा पश्चात 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

4. नवीन संशोधित संपत्ति पर आधिरोपित वित्तिय वर्ष 2021–22 अर्थात 1 अप्रेल 2021 से प्रभावशील रहेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद खरगोन

Scanned with CamScanner